

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और यहाँ उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुरारण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बलिया जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है-

क्र०सं 0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहाँ से कहाँ तक) जहाँ गति निर्बंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निर्बंधित कर निर्धारित की गयी			
			दू. व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4.5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ-बलिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-34)	बलिया से पकवाइनार	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
2	सोनौली गोरखपुर देवरिया बलिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-1)	बलिया से बेल्थरा सलेमपुर	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
3	बलिया गड़वार नगरा बरौली मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग)	बलिया से बरौली	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
4	मुहम्मदाबाद मधुबन बेल्थरा मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग)	बेल्थरारोड से मुहम्मदाबाद	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
5	रसड़ा नगरा तुरतीपार मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग संख्या-17)	रसड़ा से तुरतीपार	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा

6	गाजीपुर बलिया मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग संख्या-167ई0)	मांझी से भरौली	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
7	किडिहरापुर फतेहपुर मार्ग।	किडिहरापुर से फतेहपुर।	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
8	भीमपुरा बेलौली मार्ग	भीमपुरा से बेलौली।	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
9	कसौंडर देवलवीर	कसौंडर से देवलवीर	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
10	सीयर सोनाडीह	सीयर से सोनाडीह	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
11	दोहरी घाट पम्प कैनाल	बलिया से बेत्थरा रोड।	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
12	कुण्डेल नियामत अली होकर हाहानाला तक।	कुण्डेल नियामत अली से हाहानाला।	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
13	रतनपुरा भीमपुरा।	पकवाइनार से भीमपुरा।	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
14	नगरा मलप बेलौंझा।	नगरा से बेलौंझा।	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
15	अठिला श्रमदान	बलिया से अठिला।	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
16	परसिया श्रमदान।	बलिया से परसिया।	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
17	रसड़ा-कासिमाबाद।	रसड़ा से कासिमाबाद।	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
18	पकवाइनार सराय भारती सिधागर घाट	पकवाइनार से सिधागर घाट	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
19	पकवाइनार चन्द्रवार राघोपुर।	पकवाइनार से राघोपुर	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
20	चिलकहर टीकादेउरी।	चिलकहर से टीकादेउरी	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
21	जनपद गाजीपुर बार्डर से मुडेश होते हुए रसड़ा तहसील मुख्यालय तक।	सिधागरघाट से रसड़ा	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
22	जनपद गाजीपुर बार्डर से प्रधानपुर होते हुए रसड़ा तहसील	प्रधानपुर से रसड़ा।	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
23	चिलकहर चोगड़ा कुरेजी बंगला मार्ग।	चिलकहर से कुरेजी।	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा

24	रतसड़-पुर एकईत।	रतसड़ से एकईत।	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा
25	पकड़ी गढमलपुर।	पकड़ी से गढमलपुर।	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
26	सिकन्दरपुर तिलकर।	सिकन्दरपुर से तिलकर।	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
27	सिकन्दरपुर कठौड़ा।	सिकन्दरपुर से कठौड़ा।	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
28	सिकन्दरपुर सिवान कला बालूपुर बहदुर।	सिकन्दरपुर से बहदुर।	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
29	मनियर बड़ागांव बेरुआरबारी।	मनियर से बेरुआरबारी।	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
30	खडसरा जगिरसड़ बड़ागांव।	खडसरा से बड़ागांव।	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
31	रिगवल मनियर।	रिगवल से मनियर।	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
32	बघुडी माल्दा बिहरा।	बघुडी से बिहरा।	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
33	सोनौली बलिया से पन्दह।	सोनौली से पन्दह।	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
34	बडसरी जागीर से मल्हौवा घोंघा।	बडसरी जागीर से मल्हौवा घोंघा।	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
35	रतसड़ मेउली।	रतसड़ से मेउली।	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
36	नगरा सिकन्दरपुर।	नगरा से सिकन्दरपुर।	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
37	खेजुरी मनियर।	खेजुरी से मनियर।	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा
38	तुर्तीपार श्रीनगर बन्धा।	तुर्तीपार से श्रीनगर बन्धा।	40 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	60 किमी० प्रति घण्टा	50 किमी० प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा—

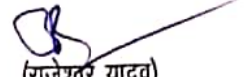
- (i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर-प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई०आर०सी० कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
- (ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा—

अ) अग्नि शमन वाहन

- ब) एम्बुलेस।
स) पुलिस वाहन।
द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलक-3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा-113 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या-1377, दिनांक-06.04.2018, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,


(राजेश्वर यादव)

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद-बलिया

पृ०सं० _____ स०सु०/2020 समदिनांकित-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ०प्र०।
- 3- जिलाधिकारी, बलिया।
- 4- पुलिस अधीक्षक, बलिया।
- 5- संभागीय परिवहन अधिकारी, आजमगढ़।
- 6- निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को
- 7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया।
- 8- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिरण (पूर्वी/पश्चिमी), लखनऊ, उ०प्र०।
- 9- सूचना निदेशक, जिला सूचना कार्यालय बलिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को स्थानीय समाचार पत्रों के अगले अंक में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।


(राजेश्वर यादव)

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद-बलिया